न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– डॉ0 सूरज सिंह नेगी

सिविल प्रकरण संख्याः– 7/2019 तारीख रजू :–08.01.2019

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर राजस्थान ।

.....आवेदक

बनाम

1. प्रदीप कुमार सिंधी पुत्र श्री आसन दास सिंधी, (विक्रेता व मालिक)–फर्म–चिराग एजेन्सी, स्टेशन के सामने, रेलवे कॉलोनी, सवाईमाधोपुर निवासी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नं.4 के सामने, रेलवे कॉलोनी, सवाईमाधोपुर (राज0)
2. राकेश भांगड़िया पुत्र श्री माणक चन्द भांगड़िया (पार्टनर)–फर्म–भांगड़िया बेवरेजेज, प्लॉट नं.6 खसरा नं. 24/3, ढाणी पुरोहितान, खोड़ा गणेश जी रोड मदनगंज, तहसील किशनगढ जिला अजमेर (राज.)–305801 निवासी 16–ए, लक्ष्मीनारायण विहार, आदित्य मील अजमेर रोड मदनगंज किशनगढ़, जिला अजमेर (राज0)–305801
3. आशीष भांगड़िया पुत्र श्री गोपाल भांगड़िया (पार्टनर)–फर्म–भांगड़िया बेवरेजेज, प्लॉट नं.6 खसरा नं. 24/3, ढाणी पुरोहितान, खोड़ा गणेश जी रोड मदनगंज, तहसील किशनगढ जिला अजमेर (राज.)–305801 निवासी मोडल टाउन, पराशिया, मदनगंज किशनगढ़, जिला अजमेर (राज0)–305801
4. अंकित भांगड़िया पुत्र स्व0 श्री भागचन्द भांगड़िया (पार्टनर)–फर्म–भांगड़िया बेवरेजेज, प्लॉट नं.6 खसरा नं. 24/3, ढाणी पुरोहितान, खोड़ा गणेश जी रोड मदनगंज, तहसील किशनगढ जिला अजमेर (राज.)–305801 निवासी दागा जी की गली, 45/19 अजमेर रोड मदनगंज किशनगढ़, जिला अजमेर (राज0)–305801

..... अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एफएसएसएक्ट 2006 एवं नियम 2011
U/S 3(1)(zf)(C)(i) of FSSA 2006

निर्णयः– दिनांक 19/1/23

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:00:38 IST
Reason: SelfAttested

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा अधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द जैन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 13.06.2018 को लगभग 02.30 पी.एम. पर दौराने गस्त फर्म– चिराग एजेन्सी, रेलवे स्टेशन के सामने, रेलवे कॉलोनी सवाई माधोपुर पर श्री वेदप्रकाश पूर्विया एफएसओ कार्यालय सी.एम.एच.

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट

ओ. सवाई माधोपुर के साथ निरीक्षण हेतु पहुंचा। वहां पर निरीक्षण के समय मौजूद व्यक्ति ने अपना नाम प्रदीप कुमार सिंधी पुत्र श्री आसन दास सिंधी बताया एवं स्वयं को दुकान का मालिक होना बताया। आवेदक ने प्रदीप कुमार सिंधी को अपना परिचय दिया व परिचय पत्र दिखाया। प्रदीप कुमार सिंधी अपनी दुकान पर **Packed Drinking Water (Gallons)** व अन्य खाद्य सामग्री आम जनता को विक्रय करता है। आवेदक ने प्रदीप कुमार सिंधी से दुकान का वर्ष 2018 का खाद्यपदार्थ लाईसेन्स, जीएसटी लाईसेन्स एवं स्वयं का पहचान पत्र दिखाने को कहा तो उसने दुकान का खाद्यपदार्थ लाईसेन्स, जीएसटी लाईसेन्स एवं स्वयं का पहचान पत्र आवेदक को दिखाया। आवेदक द्वारा निरीक्षण के समय दुकान के निरीक्षण के समय दुकान के विक्रय परिसर में आम जनता को विक्रय हेतु रखी हुई खाद्य वस्तु **Packed Drinking Water (Gallons) 1 लीटर पैक बोटल** के एक ही बैच के लगभग 20 कार्टून का निरीक्षण करने पर उसमें मिलावट व मिथ्याछाप का शक होने पर मौके पर मौजूद विक्रेता प्रदीप कुमार सिंधी से कार्टूनों में रखी हुई **Packed Drinking Water (Gallons) 1 लीटर पैक बोटलों** में से शुद्धता एवं लेबल की जांच हेतु नमूना देने हेतु कहा तथा विक्रेता को नमूना लेने की सूचना जरिये प्रपत्र 5ए तैयार कर उपस्थित गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक ने दुकान पर 20 कार्टूनों में रखी हुई **Packed Drinking Water (Gallons) 1 लीटर पैक बोटलों** में से दो कार्टूनों में से 16 बोटल शुद्धता व लेबल की जांच हेतु सात सौ रूपये नगद देकर खरीद का बिल प्राप्त किया जिस पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करने पर आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **Packed Drinking Water (Gallons) 1 लीटर पैक** की 16 बोटलों में से 4–4 बोटलों के चार सैट बनाकर चार लेबल तैयार करके उन पर स्थान, दिनांक, खाद्य वस्तु आदि लिखकर स्वयं के हस्ताक्षर कर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर चार लेबलों को प्रत्येक सैट के साथ एक–एक अटैच किया। प्रत्येक सैट को अलग–अलग ब्राउन पेपर से लपेटकर पेपर के सिरों को गोंद से चिपकाकर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्रदत्त एवं हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप मय कोड एवं सीरियल नम्बर **H-1432** गोंद से नियमानुसार प्रत्येक सैट पर चिपकाकर प्रत्येक सैट को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर चार–चार जगह से चपडी से सील मोहर करके चारों सैटो पर यथास्थान विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं सीलबन्द सैटो को अपने कब्जे में लिया। मौके पर की गई कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसको पढकर, सुनकर एवं सही मानकर विक्रेता एवं गबाहान ने हस्ताक्षर किये। आवेदक ने फार्म नं0 6 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक प्रति पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना मौके पर सील बन्द किया गया था। उक्त फार्म नं0 6 की एक प्रति एवं नमूने का एक सीलबन्द सैट एक आउटर कवर में लपेटकर सील मोहर कर तथा [illegible] फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक लिफाफे में सील मोहर कर, आउटर [illegible] व फार्म नं0 6 का सील बन्द लिफाफा श्री गजानन्द लोधा वार्ड बॉय कार्यालय [illegible] एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर के द्वारा दिनांक 14.06.2018 [illegible] कोटा (राजस्थान) के यहां जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। बाकी बचे नमूने की दो सील बन्द सैट (i व ii पार्ट) व फार्म सं0 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का शेष एक

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:00:38 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

सील बन्द सैट (iv पार्ट) व फार्म नं0 6 की एक प्रति को अलग से एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर दिनांक 14.06.2018 को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को आवेदक द्वारा जमा कराकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2018/3638 दिनांक 16.07.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. 370/एफएसएसएल/कोटा/एक्ट/2018/407 दिनांक 09.07.2018 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय की गई **खाद्य वस्तु Packed Drinking Water (Gallons) 1 लीटर पैक बोटल** का नमूना **मिथ्याछाप (Misbranded Food U/S 3(1)(zf)(C)(i) of FSSA 2006) प्रकृति** का पाया गया। उक्त प्रकरण में विक्रेताओ/खाद्य कारोबारकर्ताओं ने **मिथ्याछाप (Misbranded Food) प्रकृति की खाद्य वस्तु Packed Drinking Water (Gallons) 1 लीटर पैक बोटल** का निर्माण व विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जोकि धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुआ तथा नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है कि अभियुक्तगण पर मिसब्राण्डेड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)) प्रकृति के **खाद्य वस्तु Packed Drinking Water (Gallons) 1 लीटर पैक बोटल** का निर्माण व विक्रय करने का दोष साबित है। अतः अभियुक्तगण पर अधिकत्तम शास्ति के दण्ड से दण्डित किया जावें।

अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत बहस में अपनी दिये गये जवाब को दोहराते हुए यह तर्क दिया कि उक्त प्रकरण में मात्र Packed Drinking Water (Gallons) के अक्षरों में अंग्रेजी में बडे छोटे के आधार पर सेम्पल को मिसब्राण्डेड बताया है जबकि पैकिंग वाटर में कोई तरीके की मिलावट नहीं पाई गई है। बयानों में यह भी तर्क दिया कि उक्त प्रकरण में मात्र मिसब्राण्डेड के आधार पर सेम्पल फेल किया गया है जो कि नाम मात्र की गलती है जिसके लिए इतनी कार्यवाही अमल में लाया जाना आवश्यक नहीं है। अतः उक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त ने बहस के अन्त में उक्त प्रकरण खारिज करने का निवेदन किया

उभय पक्ष के आवेदन पत्र/बहस सुनने आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने से निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या 370/एफएसएसएल/कोटा/एक्ट/2018/407 दिनांक 09.07.2018 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य वस्तु **Packed Drinking Water (Gallons) 1 लीटर पैक बोटल** मिसब्राण्डेड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:00:38 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति॰ जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)) पाया है जिसको अभियुक्त द्वारा स्वंय ने अपने जवाब में स्वीकार किया है तथा जॉच लेब की जॉच में भी यह प्रमाणिक है कि "**Packaged Drinking Water in small letters Contravention TO Regulation No. 2.4.4(36) food Sefety & Standards (Packaging and Labelling) Regulation 2011**"। जबकि विनियम **2.4.4(36)** के अनुसार पेयजल के प्रत्येक पैकेज पर विनियम 2.3.3 में यथा विहित आकार के मोटे अक्षरों में **(पैक किया गया पेय जल)** तथा पैकेज बंद पेय जल की एक बार प्रयोग योग्य प्लास्टिक की बोतलों पर **(प्रयोग के बाद बोतल को तोड़ दे)** घोषणा होनी चाहिए।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्ध अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम,2011 के नियम 52 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्त को मिसब्राण्डेड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii)) प्रकृति के खाद्य वस्तु **Packed Drinking Water (Gallons) 1 लीटर पैक बोटल** का निर्माण व विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत अभियुक्त संख्या 1 लगायत 4 पर संयुक्त रूप से 30,000/–रू0 (अक्षरे तीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा न्याय निर्णयन अधिकारी को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 19/1/23 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:00:38 IST
Reason: SelfAttested